

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
समक्ष गोपेश गर्ग

प्रकरण क्रमांक : 700009ए/2016

संस्थापन दिनांक 14.06.16

1 सिरनामसिंह पुत्र ग्यादीनसिंह जाति गुर्जर, उम्र 70
साल निवासी सड़ (खेरिया) तहसील गोहद जिला
भिण्ड म.प्र.

— वादी

बनाम

- 1 मोहकमसिंह, आयु 60 वर्ष
- 2 आशारामसिंह आयु 58 वर्ष पुत्रगण ग्यादीनसिंह जाति
गुर्जर ठाकुर निवासी सड़ (खेरिया) तहसील गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.
- 3 म.प्र शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड

— प्रतिवादीगण

आदेश

(आज दिनांक..... को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा वादी व प्रतिवादी क्रं 1 व 2 के राजीनामा आवेदन अंतर्गत दिनांकित 18.07.16 का निराकरण किया जा रहा है।
2. राजीनामा आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभयपक्ष आपस में सगे भाई हैं जिनके मध्य राजीनामा हो गया है राजीनामा के अनुसार विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है जिस पर तीनों भाई अपने हिस्से पर काबिज होकर खेती करेंगे इस कारण वह प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं और प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया है।
3. वर्तमान वाद वादी ने विवादित भूमि स्थित मौजा सड़ और विवादित भवन 90फीटगुणा120 वर्गफीट जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ पेश है, के संबंध में गेंदालाल के उत्तराधिकारी ग्यादीन व अन्य चार भाई होने से ग्यादीन के 1/5 भाग ग्यादीन के उत्तराधिकारी वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 होने से ग्यादीन के 1/3 भाग पर स्वत्व द घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है और विवादित संपत्ति संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति होना बताया है।
4. प्रकरण में प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 ने वादोत्तर पेश नहीं किया है और प्रतिवादी क्रमांक 3 अनिवारित रहा है जो म0प्र0शासन होकर औपचारिक पक्षकार है जिसके विरुद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है राजीनामा के अनुसार भी उभयपक्ष ने घोषणा व

स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना नहीं है और प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार ही प्रतिवादी क्रमांक 3 विवादित भूमि का स्वत्वधारी नहीं है। अतः राजीनामा के निराकरण के लिए प्रतिवादी क्रमांक 3 की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

5. उभयपक्ष ने प्रकरण में स्वेच्छा से राजीनामा करना व्यक्त किया है और राजीनामा के अनुसार कोई घोषणा व निषेधाज्ञा की प्रार्थना नहीं चाही है मात्र प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया है। अतः राजीनामा लोकनीति के विरुद्ध नहीं है ना ही विधि के प्रभाव को विफल करता है। अतः राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज़प्त किया जाता है।

1. उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण समाप्त किया गया।
2. राजीनामा आवेदन डिक्री का अभिन्न अंग होगा।
3. वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये और तदानुसार आज़प्ति बनाई जाये।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)